अधिकारी का कार्यालय, चास (बोकारो)

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक सा. .... तक

जिला - बोकारो मु० सं० .... 4557 III सन २०16-17 ....

केश का प्रकार - .... नामांतरण (दाखिल खारिज)

आदेश की क्रम सं. और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
3/12/16	आवेदक श्री/श्रीमती ....दीपक अग्रवाल.... पिता/पति श्री ....[illegible] प्रसाद अग्रवाल.... ग्राम ....चास.... थाना ....चास.... जिला ....बोकारो.... निम्नलिखित जमीन का नामांतरण हेतु आवेदन दिये है । जिसका विवरण इस प्रकार है । मौजा व थाना नं० — चास / 30; खाता — १७७; प्लॉट — २२०७, २२१८, २२२१; रकबा — 0.16; लगान — 0.20 आवेदन के आलोक मे आम इस्तिहार निर्गत करें तथा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाच प्रतिवेदन प्राप्त करें । अंचल अधिकारी चास आवेदन के आलोक में आम ईस्तहार निर्गत किय गया । मूल आवेदन पत्र निबंधित पट्टा/विक्रय पत्र की छाया प्रति के साथ हल्का कर्मचारी को जाच हेतु दिया गया । हल्का कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि वे अपना विस्तृत जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से दिनांक ...18/12/16... तक कार्यालय मे प्रस्तुत करें । इस नामांतरण के आलोक में किसी को कोई आपत्ति हो तो दिनांक ...18/12/16....तक अपना आपत्ति पत्र अधोहस्ताक्षरी को अवश्य दें । अन्यथा समय बीतने पर किसी प्रकार की सुनवाई नही होगी तथा दावा अमान्य कर दिया जाएगा । अभिलेख दिनांक ....को उपस्थापित करें । अंचल अधिकारी चास ।	

B Agarwal

अभिलेख उपस्थापित किया गया । आम इश्तिहार का तामिला प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है । किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई है । हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ.जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा ....[illegible] थाना नं० ....30.... खाता नं० ....[illegible]....प्लॉट 7207, 7218, 7221 रकवा ....0.16.... गत सर्वे खतियान में रैयती/आबाद मालिक/गैरआबाद मालिक दर्ज है । विक्रेता खतियानी रैयत के वंशज/उत्तराधिकारी है, विक्रेता को प्रश्नगत भूमि निबंधित दस्तावेज संख्या .... के द्वारा क्रय के आधार पर प्राप्त है।

आवेदित भूमि की जमाबंदी पंजी ॥ के जमाबंदी संख्या ....36/60.... में विक्रेता ....[illegible].... के नाम से चल रही है । क्रेता ने प्रश्नगत् भूमि केवाला नं० ....5211.... दिनांक ....21/12/16.... द्वारा क्रय किया है । विक्रेता ने अपने हक वो हिस्सा की भूमि बिक्री की है ।

हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत् भूमि पर क्रेता का खरीदगी पश्चात् दखल कब्ज है । उक्त नामांतरण से संबंधित आवेदित भूमि वन सीमा/सैरात/भूदान/भहूदबन्दी/गैरआबाद/आदिवासी/बी०एस०एल० अधिग्रहण से बाहर है । हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक ने क्रेता के नाम से नामांतरण की स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया है ।

अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण हेतु प्रस्तावित भूमिः-

मौजा व थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा	लगान	प्र० लगान	अलावे सेस
[illegible] 30	177	7207 7218 7221	0.16	0.20	4.00	

आवेदक श्री/श्रीमती ....[illegible]....

पिता/पति ....[illegible].... के नाम से

नामांतरण की .... दी जाती है । तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें । हल्का कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि शुद्धि-पत्र के आलोक में पंजी ॥ में आवश्यक इन्द्राज कर शुद्धि पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करायें ।

प्रतिलिपि — मिलान किया — अभिप्रमाणित सच्ची

अंचल अधिकारी

चास

प्रधान सहायक

अधिनियम 1872 की धारा के

ई० अधील प्रमाणित

अंचल कार्यालय

चास (बोकारो)